



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 3 राँची, बुधवार

15 जनवरी, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 42- 75 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।****अधिसूचना**

8 अगस्त, 2024

संख्या-12/पी-201/2003 (खण्ड)-4731--डब्ल्यू० पी० (एस०) सं०-63/2024 शिवेन्द्र बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2024 को पारित आदेश एवं उक्त वाद से उद्भूत अवमाननावाद (सिविल) संख्या-499/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के द्वितीय बैच के पदाधिकारी श्री शिवेन्द्र तथा सदृश्य मामले में समान रूप से प्रभावित श्री मुकेश कुमार महतो एवं श्री राधा प्रेम किशोर के दावों पर पुनर्विचार करते हुए समीक्षोपरांत इनकी सेवा राज्य सेवा नियमावली, 2012 के नियम-14(6) को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद WP (PIL)-3594/2011 बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिकाएँ में अंतिम आदेश, अन्य न्यायादेश तथा इनकी नियुक्ति के जाँच में सरकार के अंतिम निर्णय से प्रभावित होने एवं साथ ही इसे पूर्वोदाहरण नहीं माने जाने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	संपुष्टि की तिथि
1	श्री शिवेन्द्र, पुलिस उपाधीक्षक	02.09.2014
2	श्री मुकेश कुमार महतो, पुलिस उपाधीक्षक	03.06.2015
3	श्री राधा प्रेम किशोर, पुलिस उपाधीक्षक	03.06.2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 अगस्त, 2024

संख्या-13/पी₂-102/2023-5138/सी०, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेलेक्ट लिस्ट-2009 2010 एवं 2011 के विरुद्ध राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत पदाधिकारियों के वरीयता वर्ष/बैच का पुनर्निर्धारण किया गया तथा वर्ष 2002 से 2007 बैच आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को वरीयता वर्ष/बैच में एक वर्ष की वरीयता का लाभ प्रदान किया गया है। वरीयता / वर्ष पुनर्निर्धारित के फलस्वरूप पुलिस उप महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों को वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें पूर्व में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि में संशोधित किया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुर्नविचारोपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति प्राप्त निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रोन्नति की तिथि को संशोधित करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से वास्तविक / आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पूर्व निर्धारित वरीयता / संशोधित वरीयता	पूर्व प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि (अधिसूचना सं०/दिनांक)	संशोधित वरीयता के आधार पर वास्तविक / आर्थिक लाभ सहित संशोधित प्रोन्नति की तिथि
1	श्री मनोज कुमार सिंह	2005/2004	प्रभार ग्रहण की तिथि से (3480/22.06.2018)	01.01.2018
2	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद	2005/2004	प्रभार ग्रहण की तिथि से (3481/22.06.2018)	01.01.2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

30 जनवरी, 2024

संख्या-502--माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा, स्व० जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 धारा-147/148/139/188/323/353 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है, जिसे वापस लेने का मामला सरकार स्तर पर विचाराधीन है ।

2. श्री हीरालाल माँझी, अध्यक्ष, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जिला समिति, बोकारो के पत्रांक-212, दिनांक-19.02.2020 विभाग में प्राप्त हुआ, जिसमें नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 वापस करने का अनुरोध किया गया है। उक्त कांड संख्या माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा स्व० जगरनाथ महतो के नेतृत्व में स्थानीय नीति के विरोध में किये गये आंदोलन के क्रम में दर्ज किया गया है ।

3. उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-443/ विधि, दिनांक-18.03.2023 एवं पत्रांक-1423/विधि, दिनांक-03.11.2023 (छायाप्रति: संलग्न) के द्वारा, श्री: हरेश कुमार राम, सहायक लोक अभियोजक, M.P/M.L.A Court जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद का पत्रांक-642, दिनांक-22.02.2023 की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी लोक अभियोजक धनबाद द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है:-

श्री जगरनाथ महतो व अन्य के विरुद्ध दिनांक-01.06.2016 धारा-147/148/149/323/188/308/353/304/328 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप समर्पित की गयी है तथा उक्त तिथि (01.06.2016) को ही माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है ।

अभियुक्तगण/विपक्षी अधिवक्ता अपने ऊपर लगाये गये आरोप/आरोप गठन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में Criminal Revision 221/2018 दायर किया गया। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 14.05.2019 के आदेश, से साक्ष्य की कमी को देखते हुए आरोपित धारा-304/149 तथा 328/149 भा०द०वि० को विलोपित कर दिया गया। तत्पश्चात माननीय अपर सत्र न्यायाधीश 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा माननीय न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश से 18.09.2019 को, आरोप गठित धारा-304/149 तथा 328/149 को विलोपित करते हुए केस अभिलेख को माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी के कोर्ट में विचारण हेतु भेज दिया गया ।

केस/इयूटी में गवाहों ने घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है जिसके कारण Cr.. Revision में माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर प्रकृति के धारा-304/149 तथा 328/149 भा०द० वि० को विलोपित कर दिया गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय शिव नंदन पासवान बनाम् राज्य बिहार (A/P) 1987 SC. के आलोक में, The Government Appointed SPL P.P. and on the Govt- advise, he moved an application u/s 321 CRPC before CIM Seeking court permission to withdrawal from prosecution on four grands.

P Khalid and Natrajan JJ.

Section-321 of Cr. pc. needs 3 requites to make an order under it valid. In my opinion lack of prospect of successful prosecution in the light of evidence.

(i) वादी ने पुलिस कैपिसिटी में रहकर यह वाद दायर किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय S.C के उक्त चार बिन्दुओं में पहला बिन्दु को इस वाद में अध्ययन किया जाय तो मैं अभियोजन की ओर से यह पाता हूँ कि इस वाद में उच्च न्यायालय ने Criminal. Revision में मुख्य धारा-304/149, 328/149 को विलोपित कर दिया है और 8 गवाहों की गवाही से यह वाद Lack of prosecution की श्रेणी में आता है तथा साक्ष्य के कमी दर्शाता है। जिसे अभियोजन, उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन साबित कर सकता है, यह संदेह है ।

(ii) अतः, साक्ष्य के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यह वाद 'सरकार वापस कर सकती है (यह वाद सरकार चाहे तो Withdrawal योग्य है)। यह वाद राजनीतिक द्वेष से माननीय विधायक पर किया गया है ।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय का तीसरा Point के अनुसार इस वाद में Public Policy Involve नहीं है और न ही money matter Involve है तथा Public interest भी नहीं दर्शा रहा है ।

केस की वर्तमान स्थिति यह है कि उपरोक्त केस में माननीय न्यायालय श्रीमती संतोषनी मुर्मू विशेष, न्यायिक दण्डाधिकारी M.P/M.L.A Court, धनबाद के कोर्ट में अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है। कुल 8 गवाहों की गवाही हो चुकी है जिसमें 4 * सरकारी तथा 4 गैर सरकारी गवाह है। सरकारी गवाहों ने केस का अंशतः समर्थन किया है • तथा अभियुक्त गुण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं आया है। चारों गैर सरकारी गवाह 'पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। Case Advance Stage में है। चार सरकारी गवाह केवल मशाल जुलूस निकालने का समर्थन किये है। उन्होंने घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है ।

साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय State of Kerala V/s K. Ajith S.C 510 के आलोक में सहायक लोक अभियोजक, धनबाद का मंतव्य निम्नवत् है :-

(i) Immunities and Privileges: The protest against the " STHANIYA NITI" by M.L.A is proteted by immunities and Privilege under Art 194 (3) of the constitution.

(ii) Breach of previeges :- A vilation of the right and imunities granted to M.L.A. is a breach of privileges.

(iii) Sanction of the speaker: An offence which is committed by M.L.A cann't be registered by the Police without the permission of the speaker. Police Officer require authorization from the competent Authority to investigate a breach of law.

(iv) Public Interest:- The freedom granted to M.L,A are necessary for the functionality of the Democracy and are subject to the powers of the speaker. The continues of the trail of M.L.A in absence of the sanction of the speaker lowers, the dignity amonst citizen.

(v) Absent of mens rea:- According to chargesheet, the incident occurred during a protest by the M.L.A aganist the "SHTANIYA NITI" This it is difficult to assess the 'reus' of the offence.

(vi) Lack ot evidence:- The statements of the witnesses under 161 of cr.p.c are vague and there is an absence of proper identification of the person involved and the participations of the alleged offence.

(vii) The Vediography/(C.D) Photographs at the incident lacks Certification under section 65 (B) of the Indian evidence Act 1872 and the admissibility of this evidence would be challenge in the trail.....".

अतः, सहायक लोक अभियोजक, धनबाद का मंतव्य है कि अभिलेख का अवलोकन, गवाहों का बयान तथा माननीय उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा क्रिमिनल रिभिजन में दिये गये आदेश के आलोक में यह वाद धारा-321 CRPC के अंतर्गत प्रत्याहरण (Withdrawal) योग्य है ।

4. वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि प्रासंगिक वाद के मुख्य आरोपी स्व० जंगरनाथ महतो की मृत्यु हो चुकी है एवं वही धरना के नेतृत्वकर्ता थे। स्व० जगरनाथ महतो के नेतृत्व में स्थानीय नीति के विरोध में किये गये आंदोलन के क्रम में नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 दर्ज है। यह वाद राजनीतिक द्वेष से माननीय विधायक पर दर्ज किया गया था। वाद में Public Policy Involve नहीं हैं और ना ही Money matter Involve है तथा Public interest भी नहीं हैं। यह

आंदोलन नीजि हित के लिए नहीं हैं। दर्ज किये गये कांड में साक्ष्य की कमी है। कांड वापसी से राज्य के विधि-व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ।

5. अतः प्रभारी लोक अभियोजक, धनबाद का मंतव्य, एवं उपायुक्त, धनबाद की अनुशंसा के आलोक में माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा, स्व० जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 धारा-147/148/139/188/323/353 'भा०द०वि०' को वापस लेने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-09.01.2024 के मद संख्या 30 में स्वीकृत किया गया है ।

6.वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016, को प्रत्याहरित किया जाता है। तदनुसार उपायुक्त, धनबाद/बोकारो अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

1 July, 2024

Memo No.-10/C.B.L.-419/2024-4005--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand, upon request made vide letter No.-364/CO-6/2023-R, dated 12.06.2024 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against the following:-

(i) Smt. Roomi Saha, Prop. Clear Imaging Services, W/o Shri Mayank Kumar Saha, R/o Flat No.8D, 8th Floor, Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum, District- Ranchi-834010,

(ii) Mayank Kumar Saha, S/o Kantu Lal Saha, Proprietor of M/s Icon Infra Services and guarantor of M/s Clear Imaging Services r/o 07, J.N. Tiwari Road, Dumdum Cant., Dumdum, North 24 Parganas, West Bengal-700028.

(iii) Jatin Sahay S/o Late Rajkishor Sahay r/o BK Sahay Compound, St. Annes School Lane, Tharpakhana, Ranchi, District- Ranchi-834001 and guarantor of M/s Clear Imaging Services and one of the partner in M&J Associates having its registered office at B.K. Sahay compound, St. Annes School Lane, Tharpakhana, P.S.- Lalpur, Distt-Ranchi and Proprietor of M/s Trust Diagnostic Centre having registered office at- Ground Floor, M&J Complex, Opposite Hotel Radisson Blu, Kadru, Ranchi.

(iv) M/s Icon Infra Services registered address Sangam Kothi, Indrapuri, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand.

(v) M/s Clear Imaging Services, Registered office at 8D, 8th Floor, Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum, District-Ranchi-834010 (as per address mentioned in the Udyam Aadhaar Registration Certificate).

(vi) Unknown other related/ interconnected private parties/persons/firms etc. and

(vii) Unknown public servants.

for committing offences u/s 120B, 409, 420, 465, 467, 468, 471 of IPC and Section 13(2) r/w 13(1) (d) of PC Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence(s) that may come into light during investigation of case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Umashankar Prasad Pal,

Under Secretary to Government.

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024

संख्या-11/बंदी विविध-10/2024-4916--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक-06.08.2024 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् बंदियों को कारा से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	बंदी का विवरण	अस्वीकृति का कारण
1	दिनेश दास उम्र-56 वर्ष लगभग, पे.लम्बु दास, ग्राम-जजलो, थाना-हंटरगंज, जिला- चतरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P, Probation Officer as well as the concerned learned court. The report of S.P, probation officer and concerned learned court being negative. The convict committed heinous crime of killing Dilip Passwan in land dispute. Thus it is crime against society. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon decided to reject the premature release of the convict.
2	कमलेश कुमार चौबे, पे. श्री राम चौबे ग्राम-राँची रोड, ईफकोगेट, थाना-रामगढ़, जिला- रामगढ़। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The report of S.P. and Learned Court being negative. The convict brutally murdered the victim Bhavash Kumar Mishra aged about 12 years by cutting his trachea. Victim's murder was not only hearthreacking for his parents but was a set back to entire civilized society. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.

3	जलील अंसारी उम्र 48 वर्ष लगभग, पे.स्व. बुटन अंसारी, ग्राम-मंजुरा, थाना-कसमार, जिला-बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Superintendent of police Jail Superintendent and the Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict.
4	रबुल अंसारी उम्र-49 वर्ष लगभग, पे. शहबाज अंसारी, ग्राम-मंजुरा, थाना-कसमार, जिला-बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Superintendent of police Jail Superintendent Probation officer being negative. S.P & P.O reports about his involvement again in crime after release. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict.
5	सुभाष बाऊरी उम्र 45 वर्ष लगभग, पे. स्व. उमेश बाऊरी, ग्राम-नारायणपुर, टोला आमटॉड, थाना-पिण्ड्रा जोरा, जिला-बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, Jail Superintendent and Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict.
6	छोटु अंसारी उम्र 45 वर्ष लगभग, पे०-मनीरुद्दीन अंसारी, ग्राम-मंजुरा, थाना-कसमार, जिला-बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of, Court, Superintendent of police, Jail Superintendent and the Probation officer being negative. Hence the Board after considering all the facts and report place upon, decided to reject the premature release of the convict.

7	परसु सिंह, पे०-साधु सिंह, उम्र-42 वर्ष लगभग सा०-पिण्डराही, थाना-छतरपुर, जिला पलामू, केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, S.P and Probatio, officer being negative. Convict has murdered a woman for bl. ming of witchcraft, which is very heinous in nature, Thus it is ci against society as well as women. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
8	राजेन्द्र साव, पे०-स्व० मटुकधारी साव, ग्राम-बाड़ी झरिया, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू, उम्र-41 वर्ष लगभग केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed brutal murder of Indradev Sao by cutting his neck. The report of Jail Supritendent, S.P., Probation officer and leared court being negative. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
9	सुखलाल सिंह, पे० दरबारी सिंह, उम्र-48 वर्ष लगभग, सा०-छोटकी घुटुआ, थाना एवं जिला-लातेहार। केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू।	This board has considered the opinion of the jail Superintendent, S.P., Probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed heinous offence of dacoity and naxal activities ie. crime against society. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
10	बाल्मिकी यादव उर्फ साधु यादव, उम्र-50 वर्ष लगभग, पे. स्व. बुन्दी यादव, ग्राम-कुस्तौर, 3 नं०, जोड़ा चिमनी, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict murdered his own wife. The report of S.P, PO and the learned court is being negative. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
11	विरेन्द्र राम उर्फ विरोधी राम, पे० जामुन राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, ग्राम-बेलतू, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict awarded life imprisonment till natural death for beltu massacre. It was the gruesome murder of 14 persons including the unfortunate death of a girl child aged about 18 months, who died due to suffocation, when her house was burnt. In beltu massacre out of 14 persons 13 person belong to Gram Rakshadal. The accused were playing football with the heads and drinking

		blood of the deceased persons. It is rarest of the rare crime and does not deserve any remission. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
12	महेश्वर साव, पे. होरिल साव, उम्र लगभग-42 वर्ष, ग्राम-बेलतू, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict awarded life Imprisonment till natural death for beltu massacre. It was the gruesome murder of 14 persons including the unfortunate death of a girl child aged about 18 months, who died due to suffocation, when her house was burnt. In beltu massacre out of 14 persons 13 person belong to Gram Rakshadal. The accused were playing football with the heads and drinking blood of the deceased persons. It is rarest of the rare crime and does not deserve any remission. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict
13	जगरनाथ साव उर्फ जगन्नाथ साव पे. महावीर साव, उम्र लगभग-55 वर्ष, ग्राम-बेलतू, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict awarded life imprisonment till natural death for beltu massacre. It was the gruesome murder of 14 persons including the unfortunate death of a girl child aged about 18 months, who died due to suffocation, when her house was burnt. In beltu massacre out of 14 persons 13 person belong to Gram Rakshadal. The accused were playing football with the heads and drinking blood of the deceased persons. It is rarest of the rare crime and does not deserve any remission. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
14	मुकेश कुमार मेहता उर्फ महतो, पे० दिनेश्वर प्रसाद मेहता उर्फ महतो, उम्र-43 वर्ष ग्राम-हदारी, थाना-	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed heinous offence of rape, murder and

	ईचाक, जिला-हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	destroying evidence. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
15	मोहन महतो पे० स्व० बनवारी महतो, उम्र-46 वर्ष, ग्राम-मधुबन बस्ती, थाना- मधुबन, जिला- धनबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. According to learned court the offence committed by the convict where deceased was pregnant at the time of death due to which unborn child also suffered unnatural death. Crime is heinous and his premature release will send a wrong sign to the society. at large. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
16	अमीत चक्रवर्ती उर्फ अमीर चक्रवर्ती उर्फ गुड्डु पे० मिहीर चक्रवर्ती, उम्र 40 वर्ष, ग्राम ब्राह्मण बरारी, थाना- जोड़ापोखर, जिला-धनबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of Court, S.P and Probation officer being negative. convict has raped and murdered of 08 years scheduled tribe girl, which is very heinous in nature. Thus it is crime against society as well as women. Further considering the ability, possibility and capacity of the convict for future crime. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
17	उमेश सिंह, पे. सरयुग सिंह, उम्र- 56 वर्ष, ग्राम-निरसा, थाना-निरसा, जिला-धनबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The crime committed is the murder of public representative (MLA) in broad day light. Considering the nature of the offence and daringness of the convict. The Board decided to reject the prayer for premature release of the convict. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.

18	मो० युनूस अंसारी, पे० अलबाबू अंसारी, उम्र-59 वर्ष, ग्राम-भर्रा, थाना-चास, जिला-बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The crime committed is gang rape of a girl by 22 persons which seems to be the most heinous crime of the society. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
19	अरुण मंडल, पे०-नंदन मंडल, उम्र-41 वर्ष लगभग, सा०-टेकबथान, थाना-राजमहल, जिला-साहेबगंज। केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed murder of his co-villager by country made pistol. The report of court and S.P being negative. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon decided to reject the premature release of the convict.
20	मो० छोटु सिद्धीक, पे०-मो० सलीम मियाँ, उम्र 40 वर्ष लगभग, सा०-श्रीराम पाड़ा, थाना-दुमका नगर, दुमका। केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed murder of Lalu Mandal and made murderous attack on Mahavir Mandal and chandan keshri which indicates that convict committed an act which is not only harmful to the society of which he forms and integral part but, is also harmful to his own future both. Hence the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
21	शंकर उर्फ शकरू मंडल, पे०-लखपति उर्फ लखपतिया, उम्र-40 वर्ष लगभग, सा०-बाघमारा, थाना-बोआरीजोर, गोड्डा। केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict Shankar Mandal shot fire from his country-made pistol from close range which hit on the chest of the deceased and other accused persons gave daggers blow to the deceased. Thus convict committed brutal murder of Upendra Mandal. Accused persons also gave threatening to eliminate his entire family. The convict has committed a heinous offence. The report of S.P and learned court is being negative. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.

22	सोमराय हेम्ब्रम, उम्र-43 वर्ष लगभग, पे०-स्व० बड़कु हेम्ब्रम, धमना (कुरुमटाँड़ टोला) जरमुण्डी, दुमका। केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. Probation officer as well as the concerned learned court. The Convict committed heinous offence of brutal murder of his wife and daughter. Thus it is heinous crime against society and women. Hence the Board after considering all the facts and reports placed upon decided to reject the premature release of the convict.
23	उत्तम कुमार शर्मा उर्फ उत्तम शर्मा पे०-मानिक शर्मा उम्र-47 वर्ष लगभग, सा०-बढ़ईटोला, थाना- जरमुण्डी, जिला-दुमका। केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The reports of court and S.P. being negative. The convict committed heinous offence of brutal murder of his wife by knife in presence of witnesses. Thus it is crime against society and women. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
24	संतोष कुमार साह पे०-स्व० भोलानाथ साह उम्र-48 वर्ष, सा०- कुशपहाड़ी, रीपाड़ा, जिला-दुमका थाना-शिकारीपाड़ा, केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed heinous offence of killing his innocent wife by burning with petrol for dowry. Thus it is crime against society as well as women. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict
25	बलीराम मंडल, पे०-बटोरन मंडल, उम्र-50 वर्ष लगभग, सा० डेढ़गामा, मंगल हाट, थाना-राजमहल, साहेबगंज केन्द्रीय कारा, दुमका।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent S.P. probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed a heinous crime of raping a minor girl which is not good for civil society. Keeping in view the above circumstances, the Board after considering all the facts and report placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
26	वकील खान, पे० मोफील खान, ग्राम- मकान्दू, थाना-कुइँ जिला-लोहरदगा। उम्र 35 वर्ष लगभग। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. According to learned court wakti khan does not deserve the benefit of commutation of life imprisonment. He should be remain in prison till his natural death. and the Superintendent of Police being negative. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.

27	अजय कुमार पाल पे० स्व० दुलाल कुमार पाल, ग्राम-बमनिया, थाना-झालदा, जिला-पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)। उम्र-43 वर्ष लगभग बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. According to learned court the interest of justice demands no benefit of remission should be given to the convict. His release may send wrong message to society. In the above circumstance he does not deserve any lenient view. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, as well as the age of the prisoner decided to reject the premature release of the convict.
28	नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित पे०-स्व० मदन मोहन सिंह उम्र-70 वर्ष लगभग, पता: ग्राम-मा० सं०-636 न्यू कालीमाटी, रोड, गाढ़ाबासा। थाना-गोलमुरी जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The convict committed heinous offence of killing innocent public representative and advocate for political reasons in a premeditated manner with other co-accused. The case was enquired & supervision by CBI. Further the convict was punished twice for prison offence. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
29	सतेन्द्र कुमार बाल्मिकी उर्फ भोलु पे०-राम किशुन बाल्मिकी, उम्र-41 वर्ष लगभग पता: ग्राम-एम० एच०-45 डी०बी०सी० कॉलोनी, नीलडीह, थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of court Superintendent of police and the probation officer being negative. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.
30	सोना नायक, पे०-स्व० कार्तिक नायक, उम्र-39 वर्ष लगभग, पता-रायबासा, थाना-गम्हारिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	This board has considered the opinion of the Jail Superintendent, S.P., probation officer as well as the concerned learned court. The report of court and the probation officer being negative. Hence the board after considering all the facts and reports placed upon, decided to reject the premature release of the convict.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/जी0-103/2023-5833--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के O.M No.-57/05/2021-P&PW (B) दिनांक-13.03.2023 एवं परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन), दिनांक 13.07.2023 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) के अधिसूचित होने के तिथि (22.12.2003) के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित/अधिसूचित पद/रिक्ति के विरुद्ध हुई है तथा जो एन०पी०एस० से आच्छादित है, को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्युसह-सेवानिवृत्त लाभ) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना हेतु दिनांक 30.11.2023 तक विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है ।

2. अतः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त परिपत्र में निहित शर्तों को पूर्ण करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति दिनांक-01.01.2004 के बाद हुई है, को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्युसह-सेवानिवृत्त लाभ) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का आच्छादन प्रदान करते हुये उसके सभी अनी लाभ अनुमान्य किये जाते हैं:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	भा०पु० से० आवंटित बैच	सिविल सेवा से संबंधित अधिसूचना की तिथि	भा०पु० से० में योगदान की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री होमकर अमोल विनूकांत	2004	07.12.2002	06.09.2004	पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची
2	श्री कुलदीप द्विवेदी	2005	29.11.2003	22.08.2005	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पुलिस उप-महानिरीक्षक, सी०बी०आई०, डी०एस०पी०ई०. हेड ऑफिस, नई दिल्ली
3	श्री पंकज कम्बोज	2005	29.11.2003	22.08.2005	पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची

4	श्री अभिषेक	2005	29.11.2003	22.08.2005	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति उप निदेशक, आई०बी०
5	श्री असीम विक्रान्त मिंज	2005	29.11.2003	22.08.2005	पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग झारखण्ड, राँची।

3. जिन पदाधिकारियों को पूर्व से जी०पी०एफ० संख्या आवंटित है, उन्हें पुनः जी०पी०एफ० संख्या आवंटित नहीं की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 जनवरी, 2024

संख्या-13/ आई०पी०एस०-106/2023/286--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के O.M No.-57/05/2021-P&PW (B) दिनांक-03.03.2023 एवं परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-II (पेंशन), दिनांक-13.07.2023 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) के अधिसूचित होने के तिथि (22.12.2003) के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित/अधिसूचित पद/रिक्ति के विरुद्ध हुई है तथा जो एन०पी०एस० से आच्छादित है, को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्युसह-सेवानिवृत्त लाभ) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना हेतु दिनांक-30.11.2023 तक विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है।

2 अतः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त परिपत्र में निहित शर्तों को पूर्ण करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति दिनांक-01.01.2004 के बाद हुई है, को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्युसह-सेवानिवृत्त लाभ) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का आच्छादन प्रदान करते हुये उसके सभी अनुवर्ती लाभ अनुमान्य किये जाते हैं -

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	भा०पु० से० आवंटित बैच	सिविल सेवा से संबंधित अधिसूचना की तिथि	भा०पु० से० में योगदान की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री प्रभात कुमार	2004	07.12.2002	06.09.2004	पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची

3. श्री प्रभात कुमार, भा०पु० से०, पुलिस महानिरीक्ष (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची को जी०पी०एफ० संख्या- JHK/IPS/13. पूर्व से आवंटित है। अतः उन्हें पुनः जी०पी०एफ० संख्या आवंटित नहीं की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2024

संख्या-1/विविध-813/2015 खण्ड का०-8231--श्रीमती राजेश्वरी बी०, भा.प्र.से. (झा:2011) को विभागीय अधिसूचना संख्या 4739 दिनांक 19.07.2024 द्वारा दिनांक 29.07.2024 से 24.01.2025 तक कुल 180 दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश को संशोधित करते हुए भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 13018/1/2010, दिनांक- 07.09.2010 के तहत दिनांक 29.07.2024 से 08.12.2024 तक कुल 133 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2024

सं०सं०-4/नि०सं०-12-142/2015 का० 8006--श्री उमेश कुमार स्वाँसी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 355/20) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी (गुमला) द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 27.04.2017 से 26.06.2017 तक (कुल 61 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2024

सं०सं०-2/नि०सं०-12-212/2014 का. 8008--श्री राकेश भूषण सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-446/20) अंचल अधिकारी, भण्डरिया (गढवा) द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 20.05.2024 से 03.07.2024 तक (कुल 45 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RANJIT PATHAK अन्य नाम RANJIT पिता AKHILESH CHANDRA PATHAK, शपथ पत्र सं० 103, दिनांक 13 अप्रैल, 2024 के अनुसार RANJIT PATHAK के नाम से जाना जाऊँगा।

RANJIT PATHAK एवं RANJIT दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - CHAUKARI,
P.O. - CHAUKARI,
P.S. - HAIDARNAGAR,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822115
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ARTI DEVI अन्य नाम BHAVANI DEVI पति BHAVANI RAY, शपथ पत्र सं० 33, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के अनुसार ARTI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

ARTI DEVI एवं BHAVANI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MAKDIHA,
P.O. - KHARAGDIHA
P.S. - DEORI,
DIST. - GIRIDIH,
PIN - 815314
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANNA MARY CELINE JOSEPH अन्य नाम CELINE JOSEPH पति STEPHEN P A JOSEPH, शपथ पत्र सं० 625, दिनांक 28 नवम्बर, 2024 के अनुसार ANNA MARY CELINE JOSEPH के नाम से जानी जाऊँगी।

ANNA MARY CELINE JOSEPH एवं CELINE JOSEPH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - K2/7, ROAD NO. - 7A, TELCO COLONY,
P.O. & P.S. - TELCO, TOWN JAMSHEDPUR,
DIST. - EAST SINGHBHUM,
PIN - 831004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIRJINIYA TIRKEY अन्य नाम BIJINIYA TIRKEY पति PANDU TIRKEY, शपथ पत्र सं० 67, दिनांक 26 जून, 2024 के अनुसार VIRJINIYA TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी।

VIRJINIYA TIRKEY एवं BIJINIYA TIRKEY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PANDRA,
P.O. - PALI,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835205
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DHARMENDRA PASWAN, ANJANI KUMARI (अन्य नाम RISHU KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 23746, दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ANJANI KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

ANJANI KUMARI एवं RISHU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - PIPRA,
P.O. - KURHAT KATAIYA,
P.S. - HARIHARGANJ,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822131
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BANDHANU MAHTO अन्य नाम BALESHWAR MAHTO पिता YADU MAHTO, शपथ पत्र सं० 910, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 के अनुसार BANDHANU MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

BANDHANU MAHTO एवं BALESHWAR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - 39A, SARNA TOLI,
PUNDAG,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DHARMENDRA KUMAR SINGH, PARI APARNA UJJAIN (अन्य नाम ARPAND UJJAIN) का पिता, शपथ पत्र सं० 16, दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री PARI APARNA UJJAIN के नाम से जानी जायेगी ।

PARI APARNA UJJAIN एवं ARPAND UJJAIN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - QR. NO. - CD - 299,
SECTOR II, DHURWA,
P.S. - JAGARNATHPUR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KUMARI PARBATI MAHATO अन्य नाम PARWATI MAHATO पिता AJIT KUMAR MAHATO, शपथ पत्र सं० 308, दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के अनुसार KUMARI PARBATI MAHATO के नाम से जानी जाऊँगी ।

KUMARI PARBATI MAHATO एवं PARWATI MAHATO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BAMNI,
PANCHAYAT - SAMANPUR,
P.O. - BAMNI,
P.S. - NIMDIH,
DIST. - SERAIKELA - KHARSAWAN,
PIN - 832401
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJWANTI DEVI अन्य नाम RAJKALI DEVI पति Late INDRAJEET RAM, शपथ पत्र सं० 2702, दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के अनुसार RAJWANTI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।
RAJWANTI DEVI एवं RAJKALI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - Q. NO. - DT - 2853,
PANI TANKI, DHURWA,
P.O. - DHURWA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SAGAR MUNDA, RITESH SAMAD (अन्य नाम SANI RITESH SAMAD) का पिता, शपथ पत्र सं० 545, दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RITESH SAMAD के नाम से जाना जायेगा।

RITESH SAMAD एवं SANI RITESH SAMAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - BIRBANKI,
P.S. - ARKI,
DIST. - KHUNTI,
PIN - 835216
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BHUNDARI DEVI अन्य नाम PEMIYA DEVI पति Late RAMESHWAR SAW, शपथ पत्र सं० 2059, दिनांक 12 जुलाई, 2024 के अनुसार BHUNDARI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।
BHUNDARI DEVI एवं PEMIYA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NAPO KALAN,
P.O. - GOSSAI BALIYA,
P.S. - BARKAGAON,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 825311
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SAMRIDDHI RANA अन्य नाम SNIGDHA पिता UTTAM RANA, शपथ पत्र सं० 202, दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के अनुसार SAMRIDDHI RANA के नाम से जानी जाऊँगी।
SAMRIDDHI RANA एवं SNIGDHA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 153, MALVIYA MARG,
BANSI LAL CHOWK,
HAZARIBAGH,
DIST. - HAZARIBAGH,
PIN - 825301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KM SHABINA TOPPO अन्य नाम SARNITA KUMARI पति PRABAL SUBODH, शपथ पत्र सं० 42, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के अनुसार KM SHABINA TOPPO के नाम से जानी जाऊँगी ।

KM SHABINA TOPPO एवं SARNITA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - KUJU NEW COLLIERY,
P.O. - KUJU,
P.S. - MANDU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NIRA KUMARI अन्य नाम RINA KUMARI पिता SHRI BIRENDRA YADAV, शपथ पत्र सं० 6847, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 के अनुसार NIRA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

NIRA KUMARI एवं RINA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - DANDAR KALA,
P.S. - PANKI,
DIST. - PALAMAU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JYOTI SINGH अन्य नाम JYOTI KUMARI, JYOTI DEVI एवं JYOTI KUMARI SINGH पति DR. ALOK KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 821, दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 के अनुसार JYOTI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी ।

JYOTI SINGH, JYOTI KUMARI, JYOTI DEVI एवं JYOTI KUMARI SINGH सभी एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 223,
JAGDISH ENCLAVE,
DEVI MANDAP,
RATU ROAD, RANCHI,
P.S. - SUKHDEVNAGAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANJANA VERMA अन्य नाम DEEPSHREE KUMARI पिता DILIP BURMAN, शपथ पत्र सं० 31, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के अनुसार SANJANA VERMA के नाम से जानी जाऊँगी ।

SANJANA VERMA एवं DEEPSHREE KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - NEAR HANUMAN MANDIR,
ANAND MOHALLA,
PACHGARI BAZAR,
P.O. - KATRASGARH,
P.S. - KATRAS,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828113
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ADITYA LOHARA अन्य नाम MANOJ BISHWAKARMA पिता AJIT LOHARA, शपथ पत्र सं० 88, दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के अनुसार ADITYA LOHARA के नाम से जाना जाऊँगा।

ADITYA LOHARA एवं MANOJ BISHWAKARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - SILLI,
P.O. & P.S. - SILLI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835102
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KHUSHBOO DEVI अन्य नाम KHUSBOO DEVI पति SURENDRA KUMAR RAWANI, शपथ पत्र सं० 54, दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के अनुसार KHUSHBOO DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

KHUSHBOO DEVI एवं KHUSBOO DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - KAPURIA,
P.S. - KATRAS, KAPURIA,
DHANBAD,
PIN - 828103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DONA BABU अन्य नाम DONA पिता KUNJUKUNJU BABU, शपथ पत्र सं० 110, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 के अनुसार DONA BABU के नाम से जानी जाऊँगी।
DONA BABU एवं DONA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - KAMPIYIL HOUSE,
OPPOSITE GOVERNMENT SCHOOL,
GURGAIN,
P.S. - ORMANJHI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, REEPA PAUL अन्य नाम TANNU KUMARI पिता BIPATARAN CHANDRA PODDAR, पति PATHIK PAUL, शपथ पत्र सं० 3671, दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के अनुसार REEPA PAUL के नाम से जानी जाऊँगी।

REEPA PAUL एवं TANNU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 1ST STREET, NEAR HANUMAN MANDIR,
HINDPIRI, RANCHI G.P.O.,
RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SCHOLOSTICA LAKRA, AYUSHMAN ADITYA TOPPO (अन्य नाम A. ADITYA TOPPO) की माता, शपथ पत्र सं० 112, दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र AYUSHMAN ADITYA TOPPO के नाम से जाना जायेगा ।

AYUSHMAN ADITYA TOPPO एवं A. ADITYA TOPPO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BISHAKHATANGA,
P.O. - BISHAKHATANGA,
P.S. - MANDAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LALO DEVI अन्य नाम LALITA DEVI पति RAMESH MUNDA, शपथ पत्र सं० 7370, दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के अनुसार LALO DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

LALO DEVI एवं LALITA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - JAINAGAR TONGRI TOLA,
P.O. - JAINAGAR,
P.S. - PATRATU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KANCHAN DEVI अन्य नाम KANCHAN SONI पति HEMANT KUMAR SONI, शपथ पत्र सं० 43334, दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 के अनुसार KANCHAN DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

KANCHAN DEVI एवं KANCHAN SONI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LAL BAZAR, JHARIA,
P.O. & P.S. - JHARIA,
DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MITHLESH CHHETRI, IRSHITA CHHETRI (अन्य नाम MANNAT CHHETRI) का पिता, शपथ पत्र सं० 683, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री IRSHITA CHHETRI के नाम से जानी जायेगी।

IRSHITA CHHETRI एवं MANNAT CHHETRI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR NIRAMAYA HOSPITAL,
INDUSTRIAL AREA,
KOKAR,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SURAJ KUMAR SINGH अन्य नाम SURY PRAKASH पिता SRI BASHISHT NARAYAN SINGH, शपथ पत्र सं० 179, दिनांक 6 जनवरी, 2025 के अनुसार SURAJ KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

SURAJ KUMAR SINGH एवं SURY PRAKASH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - CHHATARPUR,
P.O. - DHUB,
P.S. - TARHASI,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822122
JHARKHAND
